



कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार और झारखण्ड
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX BIHAR & JHARKHAND
प्रथम तल, केंद्रीय राजस्व भवन बीरचंद पटेल मार्ग, पटना-८००००१
1st FLOOR, C.R BUILDING, BIRCHAND PATEL MARG, PATNA-800001
दूरभाष नं/TEL NO : 0612-2504447, ईमेल/Email - patna.pccit@incometax.gov.in

आदेश संख्या :- **394** of 2024

दिनांक: 31.12.2024

F.No.PCCIT/PAT/Estt./20015/12/2023-24/.....Pursuant to the recommendations of the DPC held on 28.12.2024 for Vacancy Year 2025, the following officials are hereby promoted as Income Tax Officer on regular basis (GP – 4800/- now Pay Matrix Level 8 as per 7th CPC Rs. 47,600/- - Rs. 1,51,100/- plus such allowances as may be admissible) with effect from 01.01.2025 or from the date of joining, whichever is later, on In-situ basis. The official will continue to discharge the same function and duties on In-situ basis as he/she was discharging before promotion in the present office where he/she was posted until further orders.

सं.सं.PCCIT/PAT/Estt./20015/12/2023-24/.....रिक्ति वर्ष 2025 के लिए 28.12.2024 को आयोजित डीपीसी द्वारा अनुशंसित पैनल के अनुसार, निम्नलिखित कर्मचारियों को आयकर अधिकारी (जीपी - 4800 / - अब 7 वें सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 8 रु. 47,600/- - रु. 1,51,100/- एवं अन्य मान्य भत्ते) के पद पर नियमित आधार पर In-situ आधार पर दिनांक 01.01.2025 से प्रभावी अथवा नए पद पर योगदान देने की तिथि से, जो भी बाद में हो, पदोन्नत किया जाता है। ये अधिकारी अगले आदेश तक उसी तरह के कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे जैसे वे वर्तमान कार्यालय में अपनी पदोन्नति से पहले कर रहे थे, जहां वे तैनात थे।

Sl. No.	Name (Shri/Smt)	Category	DOB	Employee No.
1	Anukul Anand	UR	10.05.1989	175114
2	Himanshu Kumar Mishra	UR	17.07.1973	153652
3	Aparna Gupta	UR	05.03.1992	175126

Conditions:

1. The above promotion/inter-se-seniority of the above named Officers shall be subject to reversion/revision in view of any further directions/orders of legal forum as well as administrative orders in this regard, received if any.

उपरोक्त नामित कर्मचारियों की उपरोक्त पदोन्नति/पारस्परिक वरिष्ठता इस संबंध में प्राप्त प्रशासनिक आदेश के साथ-साथ कानूनी फोरम के किसी भी अन्य निर्देश/आदेश, यदि कोई हो, के मद्देनजर प्रत्यावर्तन/संशोधन के अधीन होगी।

(सौरभ उपाध्याय)
आयकर उपसंचालक (मुख्यां) प्रशां
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
बिहार एवं झारखण्ड, पटना

2. The said promotion order is subject to review/reversion due to any contingency like change in number of vacancies, change in Recruitment Rules etc as well as any direction received from any Court/CBDT/DoPT and any other Competent Authority.

उक्त पदोन्नति आदेश किसी भी आकस्मिकता जैसे रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन, भर्ती नियमों में परिवर्तन आदि के साथ-साथ किसी न्यायालय/सीबीडीटी/डीओपीटी और किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी निर्देश के आलोक में समीक्षा/प्रत्यावर्तन के अधीन है।

3. The said promotion order is subject to outcome of SLP, if filed by the Department with regard to the Order of Hon'ble High Court, Patna dated 06.02.2018 in CWJC No. 17935/2017(main order) & 16742/2017 (arising out of OAs No. 223/2017 & 356/2017) and any Order of Hon'ble Apex Court which may be applicable which may be applicable in this matter.


उक्त पदोन्नति आदेश, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 06.02.2018 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17935/2017 (मुख्य आदेश (और 16742/2017 के आदेश ((ओएस संख्या 223/2017 और 356/2017 से उत्पन्न होने वाले (के संबंध में विभाग द्वारा दायर किया गया एसएलपी) यदि ऐसा किया जाता है (में और अन्य किसी भी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आदेश ,जो इस मामले में लागू हो सकता है, के अधीन होगा |

4. The said promotion order is subject to review in respect of any order/direction passed/given by Hon'ble Supreme Court in Special Leave to Appeal(C)No. 30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.11 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and Special Leave to Appeal(C)No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 and other related court cases as intimated vide DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15.06.2018.

उपरोक्त पदोन्नति आदेशों CWP संख्या 13218/2009 में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 15.07.11 को दिये गए अंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप अपील (c) संख्या 30621/2011 एवं एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.08.2017 को दिये गए निर्णय के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गए किसी भी आदेश/निर्देश एवं अन्य न्यायालयीय मामले ,जो कि DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15.06.2018 द्वारा सूचित किए गए हैं ,के अंतर्गत समीक्षा के अधीन होगी |

5. The said promotion order is subject to review in respect of revision/Re-fixation of inter-seniority, in feeder cadre in view of advisories issued by HRD, CBDT, New Delhi to implement the judgment of Hon'ble Supreme Court in case of N R Parmar and in the case of K. Meghchandra Singh & Ors versus Nigam Siro & Ors in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 arising out of SLP(C) Nos 19565-19567 of 2019 and various guidelines of DCPT.

उपरोक्त पदोन्नति आदेश SLP(C) Nos 19565-19567 of 2019 के कारण उत्पन्न K. Meghchandra Singh & Ors versus Nigam Siro & Ors in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 एवं एन आर परमार के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए पोषक संवर्ग में वरीयता के पुनःनिर्धारण हेतु मानव संसाधन निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं DoPTके द्वारा निर्गत विभिन्न दिशानिर्देशों के अधीन होगी।


(सौरभ उपाध्याय)
आयकर उपायुक्त (मुख्यां) प्रशां
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
बिहार एवं झारखण्ड, पटना

6. The pay of the Officers on promotion may be fixed in accordance with the recommendations as per the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, applicable.

पदोन्नति पाये गए कर्मचारियों का वेतन निर्धारण केंद्रीय सेवा नियम (पुनर्रिक्त वेतन) के अनुसार 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार होगा।

7. No benefit of pay fixation shall be admissible on promotion in this grade for which financial up-gradation under MACP scheme has already been granted to them in accordance with the provisions contained in DoPT's circular No. 35034/2008/-Estt(D) dated 19.05.2009 and O.M. No. 35034/3/2015-Estt(D) dated 28th September, 2016. However, in certain cases, where regular promotion is not between two successive pay matrix/ grades, higher grade pay/pay matrix (as per 7th CPC) attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/organization will be payable at the time of regular promotion.


यदि एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान कर दिया गया है तो प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 35034/2008-Estt (D) दिनांक 19 मई 2009 और कार्यालय विज्ञापन संख्या 35034/3/2015 -Estt (D) दिनांक 28 सितंबर 2016 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार इस ग्रेड में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का लाभ स्वीकार्य नहीं होगा तथापि कुछ मामलों में जहाँ नियमित पदोन्नति अनुकार्मिक वेतन मैट्रिक्स या ग्रेड के बीच नहीं हैं वहाँ संबंधित संवर्ग या संगठन के पदक्रम में आगामी पदोन्नति पद से संबंधित उच्चतर ग्रेड वेतन/मैट्रिक्स नियमित पदोन्नति के समय देय होगा।

8. It may be noted that in the event of refusing the above promotion, the officer getting promotion as per this order shall be debarred from promotion to the post of Income-tax Officer for a period of one year from the date of refusal of the said promotion or till next vacancy arises, whichever is later, as per the DoPT OM No. 22011/5/91-Estt.(D) dated 27.03.97.

ध्यातव्य है कि उपयुक्त पदोन्नति आदेश को अस्वीकार करने की स्थिति में जिन कर्मचारियों को इस आदेश के अनुसार पदोन्नति दी गई है उन्हें DOPT OM NO.22011/5/91-ESTT(D) तारीख 27 मार्च 1997 के अनुसार पदोन्नति को अस्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष तक या अगले रिक्ति उत्पन्न होने तक जो भी बाद में हो आयकर अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने से वंचित कर दिया जाएगा।

9. This promotion is being effected on In Situ basis and the Officers will continue to discharge the same functions and duties as they were discharging before their promotion till their formal postings are decided by the Competent Authority.

सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक तैनाती होने तक यह पदोन्नति स्वस्थाने आधार पर प्रभावी होगी और कर्मचारी उन्हीं कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे जो वे पदोन्नति के पूर्व कर रहे थे


(सौरभ उपाध्याय)
आयकर उपायुक्त (मुख्यां) प्रशा०
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
बिहार एवं झारखण्ड, पटना

10. The compliance report regarding joining of the above Officers shall be forwarded by the concerned Head of the Office within seven days of joining of such Officer.

उपर्युक्त कर्मियों की कार्यग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट कर्मियों के कार्य ग्रहण के सात दिनों के अंदर संबंधित कार्यालय प्रमुख के द्वारा इस कार्यक्रम में अग्रसारित की जाएगी।

(नोट-किसी भी विवाद की स्थिति में इस आदेश का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा)

This issues with the approval of the Principal Chief Commissioner of Income Tax (Bihar & Jharkhand), Patna.

ह०/-

(कन्हैया लाल कनक)

आयकर आयुक्त (प्रशा. एवं क.दा.से.),

पटना

ज्ञापक संख्या: PCCIT/Estt/Pat/20015/12/2023-24/ 9414

दिनांक: 31.12.2024

Copy to:

1. The DGIT (Inv.), Patna
2. The CCIT, Ranchi.
3. All the PCsIT/PDIT/CsIT/DIT under Bihar & Jharkhand.
4. ADG(Training), NADT-RC, Hazaribagh at Ranchi
5. Addl.CIT/JCIT (Appeals), Patna & Ranchi
6. Under Secretary to Govt. Of India, Ad.VI, CBDT, New Delhi, 5th Floor, Jeevan Vihar Buidling, 3, Parliament Street, New Delhi-110001
7. All the ZAO of Bihar and Jharkhand.
8. The GS, ITEF/ITGOA/ITSEWA, Bihar & Jharkhand Circle, Patna
9. ITO (Welfare), O/o Pr.CCIT(B&J), Patna
10. Officer concerned
11. Guard File.

(सौरभ उपाध्याय)

आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) (प्रशासन),

(सौरभ उपाध्याय) पटना

आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) प्रशा०

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
बिहार एवं झारखण्ड, पटना